

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

### आदेश

प्रार्थी के खाता "दुरुस्ती प्रार्थना" पत्र में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की अनुसरण में पटवार हल्का रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ प्रविष्टि को चक 6 I 26 की जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम का नाम	चक व खाता संख्या एवं जमाबन्दी सम्बन्ध	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	रासूवाला	चक 6 I 26 खाता सं. 44/22, 53	विष्णु कुमार जी. रामप्रताप	विष्णु कुमार जी. रामप्रताप पारि चक सं. 6 I 26

नोट :- शेष प्रविष्टि/यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन है तो यथावत रहेगा।

*(Handwritten Signature)*

(रमेश देव)

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया (SDO)

दिनांक :- 11/5/23

क्रमांक :- सम/501

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी विष्णु कुमार जी. रामप्रताप पारि चक सं. 6 I 26

3. आदेश पत्रावली।



*(Handwritten Signature)*

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया (SDO)

शाखा स्थल रासूवाला